

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 170]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 14 मई 2020—वैशाख 24, शक 1942

गृह (सी-अनुभाग) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

क्रमांक एफ.04-01/2005/दो/सी-1 : प्रायवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, 2005 (2005 का 29) की धारा 3 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 04-01/2005/दो/सी-1 दिनांक 17/05/2013 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, सचिव, मध्यप्रदेश शासन गृह विभाग को उक्त अधिनियम के प्रयोजन हेतु नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में पदाभिहित करती है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 14 मई 2020

पृष्ठांकन क्र. एफ-04-01-2005-दो-सी-1.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 मई 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. आर. भोंसले, अपर सचिव.

Bhopal, the 14th May 2020

No. F. 4-1/2005/II/C-1-- In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of Section 3 of the Private Security Agencies (Regulation) Act,2005 (No.29 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F. 4-1/2005/II/C-1, Dated 17th May 2013, the State Government, hereby designates Secretary, Government Of Madhya Pradesh, Home Department to be the Controlling Authority for the purpose of the said Act.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. R. BHONSLE, Addl. Secy.